संख्या-201/2015/1255/22-4-15-102(ब)13टीसी-1

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 16 नवम्बर, 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु द्वितीय चरण में प्रदेश की 20 कारागारों में अत्याधुनिक " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30548/आधु0-1/सि0पो0/2014, दिनांक- 28 जुलाई, 2015 एवं पत्र संख्या-42018/आधु0-1/सि0पो0/2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु द्वितीय चरण में प्रदेश की 20 कारागारों में अत्याधुनिक डिटेक्टर एफजी-1 सिक्योरिटी पोल "एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु प्रति कारागार रू0 13,28,200/- की दर से कुल रू0 2,65,64,000/-(रूपया दो करोड़ पैंसठ लाख चौंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) ई0सी0आई0एल0 द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एंव सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(ड़) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2016 तक कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयन्त्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र" में उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 201/2015/1255(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, बी'2 डीडीए, शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड, नरायना, नई दिल्ली।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।